राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I / 1318 **दिनांकः– 03-12-2020**

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 194 / 2020–21 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा श्री देवी सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोन (करौली) से राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), करौली (श्री यादराम कोली, स.ले.अ. ग्रेड–। के स्थान पर) तथा श्री यादराम कोली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), करौली से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोन (करौली) (श्री देवी सिंह मीणा, स.ले.अ. ग्रेड–। के स्थान पर) किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर श्री देवी सिंह मीणा, स.ले.अ. ग्रेड–। द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1220 / 2020 दायर की गई है।

माननीय अधिकरण द्वारा अपने पैरा संख्या 07 में अंकित किया है "अतः मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दिनांक 18.11.2020 तक विभाग के समक्ष अधिकारी को अपनी अपील में वर्णित स्वयं की परेशानियॉ आदि आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस में उसके अभ्यावेदन को विधिनुसार एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Oreder) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे।"

आदेश संख्या 194 / 2020–21 दिनांक 12.10.2020 राज्य सरकार से सक्षम अनुमति उपरांत जारी किया गया है। तत्समय निदेशक महोदय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थें एवं राज्य सरकार द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग के पद पर किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन नहीं किये जाने के कारण उक्त पद दिनांक 01.10.2020 से रिक्त चल रहा था। इसलिए राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.10.2020 जारी किये गयें।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(21)वित्त / राजस्व / 90 दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित किया हुआ है कि "विशिष्ठ परिस्थितियॉ एवं राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।" विभागीय आदेश संख्या 194 / 2020–21 दिनांक 12.10.2020 राज्य सरकार की अनुमति उपरांत ही जारी किए गए हैं।

अतः श्री देवी सिंह मीणा, स.ले.अ. ग्रेड–। के कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोन (करौली) से राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), करौली में किये गये स्थानान्तरण राज्य हित में राज्य सरकार से सक्षम अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–। / ।।) द्वारा जारी किये गये थे। इसलिए उक्त आदेश को परिवर्तित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही श्री मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I / 1318 दिनांकः–03-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष..
3. श्री देवी सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय–प्राचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), करौली।
4. श्री यादराम कोली, स.ले.अ. ग्रेड–।, कार्यालय– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोन (करौली)।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

(कुसुम मीणा)
सहायक निदेशक (कार्मिक–II)